न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—391/2015/223 (2015/00318)

1. जयलाल पुत्र मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम नाडी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 18.5..2015 अंतर्गत वाद संख्या 180/2012 .

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज कानावत एवं श्री दिनेश कुमार, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 31.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एव डिक्री दिनांक 18.5.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम घटियाली, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर स्थित विवादित आराजियात खसरा नंबर 1692 रकबा 0.26 है0, 1695 रकबा 1.17 है0, 1697 रकबा 0.11 है0, 1698 रकबा 1.29 है0, 1700 रकबा 3 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.03 है0 भूमि स्थित है । उपरोक्त विवादित आराजियात पर वादी एवं वादी के पूर्वजों का पिछले 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2015 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजियात पर पिछले 50 वर्षो से अपीलांट एवं अपीलांट के

पूर्वजों का कब्जा काश्त एवं स्वामित्व चला आ रहा है तथा उक्त आराजियात पर दीगर व्यक्ति का कोई हक, हिस्सा, वास्ता एवं सरोकार नहीं है । अपीलांट नियमानुसार विपरीत कब्जे के सिद्धांत के अनुसार विवादित आराजियात का लगान राजस्व जमा करवाता आ रहा है तथा अपीलांट को धारा 91 एल0आर0एक्ट के नोटिस भी जारी किये गये है जिससे यह स्पष्ट था कि विवादित आराजियात पर अपीलांट का काफी पुराना कब्जा काश्त है । अपीलांट उक्त पुराने कब्जे काश्त के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी था जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअदांज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट अनुसूचित जाति का गरीब एवं भूमिहीन काश्तकार है जिसे उपरोक्त भूमि का आवंटन/नियमन किया जाकर अपीलांट को खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने केवल मात्र प्रतिवादी के जवाबदावे के आधार पर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद में तनकियात कायम किये बिना एवं साक्ष्य सबूत लिये बिना वाद को सरसरी तौर पर खारिज करने में विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 2.9.2015 को गांव के पटवारी हल्का से हुई जिस पर दिनांक 3.9.2015 को केकड़ी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन पेश किया । तत्पश्चात् प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात सिवायचक आराजियात है । कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नियमों में नहीं है । अपीलांट का विवादित आराजियात पर निरन्तर कब्जा काश्त भी नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर वादी का वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम प्रकरण का तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/अपीलांट ने विवादित आराजियात आराजियात पर पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है । इसके विपरीत प्रतिवादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा वादी/अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है । पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने का प्रावधान नियमों में नहीं है । यदि अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त है तो उसे नियमन/आवंटन बाबत् संबंधित नियमों में कार्यवाही

करनी चाहिये । वादी/अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर